अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय/SECRETARIAT

****

Sri Vijaya Puram, dated the 02nd March 2026

Copy of the A & N Gazette Notification bearing No.36/2026/F.No.2-23/2020-Rev dated 03.02.2026, regarding 'Recruitment Rules for the post of Surveyor in the Establishment of Deputy Commissioner, under A&N Admn., (Revenue Department)', is forwarded to the following: -

1. Sr. PS to Chief Secretary, A&N Administration, Secretariat for kind information of Chief Secretary, A&N Administration.
2. PS to Secretary to LG for kind information of Secretary to Lt. Governor, A & N Islands, Lok Niwas, Sri Vijaya Puram.
3. PS to Secretary (Revenue), A & N Administration, Secretariat for kind information of Secretary (Rev).
4. PA to Deputy Commissioner (SA), (N&MA) and (N) for kind information of the Deputy Commissioner (SA), (N&MA) and (N).
5. The Deputy Secretary (Perl.), A & N Administration, Secretariat for kind information.
6. The Assistant Director (Admn), O/o DC (SA)/(N&MA) Mayabunder/Nicobar for information.
7. The Assistant Manager (IT), EDP Cell, Secretariat with the request to upload the A & N Gazette Notification in the official website of the A&N Administration.

Digitally signed by
A. Yesu Raj
Date: 02-03-2026
11:38:06

Assistant Secretary (Rev)
[F.No.2-23/2020-Rev/Efile No.74626]

अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र
Andaman And Nicobar Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
Published by Authority

सं. 36, श्री विजयपुरम, मंगलवार, 3 फरवरी, 2026
No. 36, Sri Vijaya Puram, Tuesday, February 3, 2026

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

****

अधिसूचना

श्री विजयपुरम, दिनांक 3 फरवरी, 2026।

सं. 36/2026/फा. सं. 2-23/2020/Rev.— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक प्रावधान के साथ पठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 11.04.1960 की अधिसूचना संख्या 14/3/60 –ए.एन.एल. द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस पद से संबंधित पूर्व की सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के अधीन उपायुक्त की स्थापना में धारित सर्वेक्षक वर्ग 'ग' के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :–

   (i) इन नियमों को "संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन (राजस्व विभाग के सर्वेक्षक की वर्ग 'ग' पद) की भर्ती नियमावली, 2025" कहा जाएगा।

   (ii) यह नियमावली इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :–

   उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जो इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची के पैरा 2 से 4 में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएं :–

   उक्त पद से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य बातें उक्त अनुसूची के पैरा 5 से 13 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. अयोग्यताएँ :–

   कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसने –

   क) किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो, जिसका पति / पत्नी जीवित है, या

   ख) पति/पत्नी के जीवित होते हुए भी किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो :

   परंतु उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को यह समाधान हो जाने पर कि ऐसी विवाह उस व्यक्ति और उस विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं।

5. ढील देने की शक्ति :–

   जहाँ उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की राय में किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, तो वे ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा ऐसा कर सकते हैं।

6. व्यावृत्ति :–

इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा संबंधी छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित करना अपेक्षित है ।

एडमिरल डी. के. जोशी
पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अ.प्रा.)
उप राज्यपाल (प्रशासक),
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह।

उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ह./–
(ए. येसु राज)
सहायक सचिव (राजस्व)

****

अनुसूची

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन (राजस्व विभाग) के अधीन उपायुक्त की स्थापना में सर्वेक्षक के पद के लिए भर्ती नियमावली

1.	पदनाम	सर्वेक्षक
2.	पदों की संख्या	44 (चवालीस)* (2024) * कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवाएँ वर्ग 'ग' अराजपत्रित (अलिपिकीय)
4.	वेतन स्तर	वेतन स्तर – 4 (रू. 25500–81100)
5.	चयन पद या गैर–चयन पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	पुरुष के लिए 18–33 वर्ष महिला के लिए 18–38 वर्ष नोट–I : केंद्रीय सरकार द्वारा पर जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 40 वर्ष की आयु तक की छूट दी जाएगी। नोट–II : भारत के अन्य स्थानों के उम्मीदवारो से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि ही आयु सीमा को निर्धारित करने की निर्णायक तिथि होगी और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला और चंबा जिले का पंगी उप–मंडल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि।
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (10वीं कक्षा) उत्तीर्ण होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/उद्योग/प्रतिष्ठान से क्राफ्टसमेन प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के तहत सर्वेक्षक ट्रेड में एक वर्ष या दो वर्ष का राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र (एनटीसी) धारक होना चाहिए। या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/उद्योग/प्रतिष्ठान से शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम (एटीएस) के तहत सर्वेक्षक ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र (एनएसी) धारक होना चाहिए।

		(iii) विभाग या किसी प्राधिकृत भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा। वांछनीय : संबंधित कार्यक्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगे ?	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	02 (दो) वर्ष (सीधी भर्ती से चयनित उम्मीदवारों को परिवीक्षा की अवधि को पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकरी द्वारा निर्धारित के अनुसार न्यूनतम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेशन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा ।
10.	भर्ती की पद्धति : क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्ति का प्रतिशत	100 % सीधी भर्ती द्वारा।
11.	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती करने के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है	लागू नहीं
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसका गठन क्या है ?	स्थायीकरण के लिए विचार हेतु विभागीय स्थायीकरण समिति का गठन इस प्रकार है : 1. सचिव (राजस्व) — अध्यक्ष 2. संबंधित उपायुक्त — सदस्य 3. सहायक सचिव (राजस्व), सचिवालय — सदस्य 4. उप सचिव (कार्मिक / सहायक सचिव कार्मिक) — सदस्य
13.	परिस्थितियाँ जिसमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है	लागू नहीं

अनुसूची का अनुलग्नक

सर्वेक्षक का कार्य एवं उत्तरदायित्व

1. प्राकृतिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए भूभाग का गाँवों में विभाजन करना ।
2. खंडम सीमा और छोटे सर्किटस् बनाना ।
3. अवस्थिति का स्केच तैयार करना ।
4. 'ए' स्केच तैयार करना ।
5. गाँव सीमा / खंडम सीमा, छोटे सर्किटों और व्यक्तिगत खेतों के ट्राईजंक्शन के लिए आयोजना और सर्वेक्षण पत्थर लगाना।
6. गाँव सीमा / खंडम सीमा, छोटे सर्किटों और व्यक्तिगत खेतों के ट्राईजंक्शन का चेन द्वारा मापन कार्य।
7. थियोडोलाइट द्वारा ट्रवर्स स्टेशन का मापन कार्य।
8. 'बी' स्केच और 'बी' फील्ड बुक तैयार करना।
9. पुत्तल स्केच तैयार करना।
10. फील्ड मेजरमेंट बुक तैयार करना।
11. भूमि रजिस्टर तैयार करना।
12. व्यक्तिगत प्लॉट के क्षेत्रफल का गणना करना।
13. तकनीकी प्रकृति के अन्य सभी संबंधित कार्य।
14. लोकहित में सौंपे गए अन्य कार्य।

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
SECRETARIAT

******

NOTIFICATION

Sri Vijaya Puram, dated the 3rd February, 2026.

No. 36/2026/ F.No.2-23/2020-Rev.— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi Notification No.14/3/60-ANL dated 11th April, 1960 and in supersession to all previous notifications for the post mentioned below, the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' post of '**Surveyor**' borne in the establishment of Deputy Commissioner under Andaman and Nicobar Administration, namely :—

1. Short title and Commencement :-

   (i) These rules may be called the Union Territory of Andaman and Nicobar Administration (Group 'C' post of '**Surveyor**' of Revenue Department) Recruitment Rules, 2025.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and Scale of Pay :-

   The number of posts, their classification and the Scale of Pay attached thereto shall be as specified in paras 2 to 4 of the Schedules annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, Age Limit and Other Qualifications :-

   The methods of recruitmentof the post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in paras 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualifications :- No person -

   (a) who has entered into or contracted of marriage with any person having a spouse living;

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post :

   Provided that the Lieutenant Governor, Andaman and Nicobar Islands may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of these rules.

5. Power to relax :-

   Where the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings :-

   Nothing in these rules shall affect the reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes Categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Admiral D. K. Joshi
PVSM, AVSM, YSM, NM, VSM (Retd.)
Lieutenant Governor (Administrator),
Andaman and Nicobar Islands

By order and in the name of the Lieutenant Governor, A & N Islands

Sd./-
(A.Yesu Raj)
Assistant Secretary (Revenue)

SCHEDULE

Recruitment Rules for the Post of Surveyor in the Establishment of Deputy Commissioner, under Andaman And Nicobar Administration (Revenue Department)

1	Name of post	SURVEYOR
2	No.of post (s)	44 (Forty Four)* 2024 *Subject to variation dependent on workload.
3	Classification	General Central Services Group 'C' Non-Gazetted (Non-Ministerial)
4	Pay Level	Pay Level – 4 (Rs. 25500-81100)
5	Whether selection post or non-selection post ?	Not Applicable
6	Age limit for Direct Recruitment	**18-33 years for male** **18-38 years for female** Note-I: The upper age is relaxable for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note-II: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, UT of Ladakh, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: 1. Must have passed Secondary School Examination (10th) from a recognized Institution / Board. 2. Should possess a one-year or two-year National Trade Certificate (NTC) under the Craftsmen Training Scheme (CTS) in Surveyor Trade from a recognized Institute / Industry / Establishment. OR Should possess a National Apprenticeship Certificate (NAC) under the Apprenticeship Tranining Scheme (ATS) in Surveyor Trade from a recognized Institute / Industry / Establishment. 3. Should qualify in the competitive examination conducted by the department / or any authorized recruitment agency. Desirable : One year experience in the field.
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees ?	Not Applicable
9	Period of probation, if any	2 (two) years (Direct recruit would be required to successfully complete a mandatory induction training of atleast two weeks duration, as prescribed by the competent authority for completion of probation.)
10.	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the posts to be filled by various methods	100% by direct recruitment.

(11) wp

11.	In case of recruitment by promotion / deputation grades from which promotion / deputation to be made.	Not Applicable.
12.	If a DCC exists, what is its composition ?	**The Departmental Confirmation Committee (DCC) for considering confirmation consists of :** 1. Secretary (Revenue) - Chairman 2. Respective Deputy Commissioner - Member 3. Assistant Secretary (Revenue), Secretariat - Member 4. Deputy Secretary (Perl.)/ Assistant Secretary (Perl.) - Member
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Not Applicable

ANNEXURE TO SCHEDULE

DUTIES AND RESPONSIBILITY IN RESPECT OF SURVEYOR

1. Dividing tract of land into villages by following natural boundary.
2. Formation of Khandham boundary and minor circuits.
3. Preparation of location sketch.
4. Preparation of 'A' Sketch.
5. Planning & Survey stone on the V / boundary / khandam boundary minor circuits and trijunction of individual field.
6. Observation of measurements by chain of village boundary khandam boundary minor circuits and trijunction of individual field.
7. Observation of traverse station by theodolite.
8. Preparation of 'B' sketch and 'B' field books.
9. Preparation of puttal sketch.
10. Preparation of filed measurement book.
11. Preparation of land registers.
12. Calculation of the area of individual plot.
13. All other works relating to technical nature.
14. Any other duty assigned in public interest.